"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2017—माघ 7, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा (भा.व.से.-1999), वन संरक्षक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वन विकास निगम, रायपुर की सेवाएं वन विभाग से लेकर संस्कृति विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री आशुतोष मिश्रा के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश चतुर्वेदी (भा.व.से.-1985), संचालक, संस्कृति एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. ग्रामीण सड़क अभिकरण, रायपुर केवल संचालक, संस्कृति के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हीरालाल नायक, भा.प्र.से. (2008), अपर कलेक्टर, बस्तर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. संजय कुमार अलंग, भा.प्र.से., (2005), संचालक, समाज कल्याण तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री युनूस अली, भा.व.से. (1988), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर की सेवायें वन विभाग को वापिस लौटायी जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से., (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2017

क्रमांक ई-1-21/2016/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, पूर्ण कर लेने फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उनके सम्मुख दर्शित तिथि से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-11) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012)	01-01-2016	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर.
2.	श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013)	01-01-2017	अपर आयुक्त, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, रायपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्रमांक ई-1-17/2014/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आलोक अवस्थी (सीजी-2002) को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1) (iii) के परन्तुक के अंतर्गत दिनांक 01-01-2015 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700/-) में पदोन्नत करते हुए "प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड" के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आलोक अवस्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2043/444/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 05-07-2016 से 11-09-2016 तक 69 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2047/722/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दिनांक 30-09-2016 से 07-10-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 08, 09, 10,11, 12-10-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित, अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2051/4174/2016/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 02-11-2016 से 11-11-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 30, 31-10-2016 एवं 12, 13, 14-11-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2053/3253/2004/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, वन विभाग को दिनांक 13-10-2016 से 22-10-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 08, 09, 10, 11, 12, 23-10-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2016

क्रमांक 2102/2219/2011/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग को दिनांक 23-11-2016 से 28-11-2016 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार चौधरी आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 7-41/2016/एक-6.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 91/126/साप्रवि/6/2001, दिनांक 13 अगस्त, 2001 द्वारा बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स भाग-1, सेक्शन-एक की कंडिका-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, बजट को संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, रायपुर को पदेन विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, "संयुक्त सचिव/उप सचिव, बजट" के स्थान पर "विशेष सचिव/संयुक्त सचिव" छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग प्रतिस्थापित करता है.

3. यह संशोधन दिनांक 01-01-2014 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरजलाल, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्रमांक 440/3794/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कांकेर (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ईश्वर लाल साहू, अधिवक्ता को दिनांक 07-01-2015 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा कए माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 526/3818/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, सरगुजा अंबिकापुर के पद पर नियुक्त श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता, जिला-सरगुजा (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 04-10-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालवधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 528/3816/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, कबीरधाम के पद पर नियुक्त श्री संजय सोनी, अधिवक्ता, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 07-10-2014 से पुन: तीन वर्ष की कालवधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 532/3815/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, कुनकुरी, जिला जशपुर के पद पर नियुक्त श्री भरत राम यादव, अधिवक्ता, जिला-जशपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 10-02-2015 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 534/3813/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री पंचानन गुप्ता, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 15-09-2015 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2017

क्रमांक 13/9725/2016/18.—श्री सौमिल रंजन चौबे, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर को दिनांक 20-12-2016 से 26-12-2016 तक (07 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौबे आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम बिलासपुर में आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्रमांक 41/10034/2016/18.—श्री अजय कुमार अग्रवाल, आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को दिनांक 26-12-2016 से 29-12-2016 तक (04 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम कोरबा में आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 1-05/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. पी. चन्द्राकर भा.व.से. (1998) वन संरक्षक, (संयुक्त वन प्रबंधन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर को दिनांक 10-05-2016 से मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान: अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स लेबल 14 वेतन रु. 1,44,200-रु. 2,18,200) के पद पर पदोन्नत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्रमांक 26/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

1. पैरा (क) में, सरल क्रमांक 15 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "16. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग."

2. पैरा (ङ) में, सरल क्रमांक 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "14. राज्य तथा जिला कौशल विकास निधि."

No. 26/1680/2010/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,—

1. In Paragraph (A), after serial number 15, the following shall be added, namely :—
   "16. Durg University, Durg."

2. In Paragraph(E), after serial number 13, the following shall be added, namely :—
   "14. State and District Skill Development Fund"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

कंडिका-8 (19) (ज) में शब्द 14 दिसम्बर व 15 दिसम्बर के स्थान पर क्रमश: अंक व शब्द 30 दिसम्बर व 31 दिसम्बर प्रतिस्थापित किया जाए. यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्रमांक/15078/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23-02-2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा रबी मौसम 2016-17 में प्रदेश में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" राज्य के समस्त 27 जिलों में लागू करती है. योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई :—**

मुख्य फसल :— चना — बीमा इकाई - ग्राम पंचायत

अन्य फसल :— गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू. — बीमा इकाई - ग्राम पंचायत

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—** प्रदेश के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी. अधिसूचित जिलों, तहसीलों, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में है.

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—** इस योजना में ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) भाग ले सकते हैं.

(क) **अनिवार्य आधार पर :—** ऐसे सभी कृषक जिनको रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा मौसमी कृषि ऋण की सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो. किसी कृषक द्वारा एक अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा.

(ख) **स्वैच्छिक आधार पर :—** अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं.

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :—** योजना क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश में उल्लेखित विधि के अनुरूप राज्य के सभी 27 जिलों को 03 कलस्टर में बांटकर प्रत्येक कलस्टर हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलों हेतु दरे प्राप्त करने मुहरबंद वित्तीय निविदा अल्पकालीन निविदा के माध्यम से आमंत्रित की गई. प्राप्त निविदाओं में से निर्धारित रीति से गणना उपरांत कलस्टरवार न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली कम्पनी (एल-1) का निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर योजना क्रियान्वयन करने वाली बीमा कम्पनी का कलस्टरवार (इसके अंतर्गत समाहित जिलों सहित) विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	कलस्टर संख्या	जिला	क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, कोरिया, बलरामपुर, कांकेर, रायपुर, बस्तर, महासमुन्द.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2.	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, जशपुर, बीजापुर, कोरबा, नारायणपुर, जांजगीर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
3.	3	बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सरगुजा, सुकमा, सुरजपुर, धमतरी, कोण्डागांव, रायगढ़.	बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड.

5. **जोखिम एवं अपवाद :—**

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा—

(क) **बाधित रोपाई/रोपण जोखिम :** वर्षा में कमी अथवा विपरीत मौसमीय परिस्थितियों से बुवाई नहीं होने की स्थिति में बीमाकृत क्षेत्र बाधित है.

(ख) **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) :** सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, हरीकेन एवं टोरनेडो से होने वाले नुकसान के लिये बीमा इकाई क्षेत्र आधार पर व्यापक जोखिम बीमा.

(ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान :** फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान के लिये कटाई उपरांत अधिकतम 02 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिये.

(घ) **स्थानीय आपदाएं :** अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान.

(ii) **सामान्य अपवर्जन :** युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत् बीमा आवरण से बाहर रखा जाएगा.

6. **बीमित राशि :—** ऋणी एवं अऋणी कृषक हेतु :— प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋण मान (Scale of Finance) के बराबर (परिशिष्ट-2). ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप प्रदान करेगी.

7. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :—** कृषक द्वारा फसल चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई सरसों, अलसी, तिवड़ा, हेतु वास्तविक प्रीमियम का अधिकत 1.5% एवं फसल आलू के लिये वास्तविक प्रीमियम का अधिकतम 5.0% वहन किया जायेगा, प्रीमियम की शेष राशि 50-50% के अनुपात में क्रमश: केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा देय होगी. क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट-2 पर है.

8. **क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :—** राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार चना फसल में 90% तथा गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू, फसल हेतु 80% क्षति स्तर का निर्धारण किया गया है. जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट-3 पर है.

9. **विभिन्न कार्यो हेतु समय-सीमा का निर्धारण :—**

क्र. सं. (1)	गतिविधि (2)	समय-सीमा (3)
1.	फसल बीम पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्ठि	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर
2.	ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीनीकृत ऋण).	अक्टूबर से दिसंबर
3.	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम राशि प्राप्ति की अंतिम तिथि.	31 दिसंबर
4.	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त गैर ऋणी कृषकों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों का बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषकों के लिए 15 दिन के अंदर और गैर ऋणी कृषकों के लिए 7 दिन के अंदर.

(1)	(2)	(3)
5.	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
6.	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) की ओर से स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त अऋणी कृषकों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी कृषकों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि.	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर.
7.	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना.	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर.
8.	फसल कटाई के बाद उपज आंकड़ों की प्राप्ति की अंतिम तिथि.	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से एक माह के भीतर.
9.	उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन अनुमोदन और भुगतान.	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर.

टीप :— उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जबवादारी बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी.

10. **दावा गणना :—** दावा गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ों से की जायेगी. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है. बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे. राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय-सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे.

11. वित्तीय संस्थायें समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें-कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, बैंक खाता संख्या, कृषक ऋणी-लघु एवं सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेगी. साथ ही राज्य सरकार एवं बीमा कार्यान्वयक अभिकरण/बैंक सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.agri-insurance.gov.in में इन्द्राज करेगी.

12. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :—**सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे.

13. **क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियां :—** योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) **बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का निश्फल एवं रोपण बाधित हो जाना/अंकुरण दावे फेल हो जाना :—** यह आवरण केवल मुख्य फसल चना के लिए ही लागू होगा. फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य फसल चना की 75% से अधिक बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा. इस घटक के अंतर्गत फसल चना की बुआई की अंतिम समय-सीमा 15 दिसंबर होगी.

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग के आंकड़ों को आधार माना जायेगा. इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों. राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा. इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात् बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज आधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे.

(ख) **मौसम प्रतिकूलताओं के कारण फसल की मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :—** फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दूर्घटनाओं एवं आकाशीय बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, समुद्री तूफान, हरीकेन एवं टोरनेड़ो के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेस होल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा का भुगतान रबी मौसम के दौरान ही किया जा सकता है. यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी. यदि उक्त स्थिति अधिसूचना की परिशिष्ट-4 में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रारंभ होने के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी.

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्थ आंकड़े को आधार माना जाएगा. इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा. इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हों अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हों. राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन दिया जायेगा जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी.

(ग) **स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :—** स्थानीय जोखिमों यथा—ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में खेती का आंकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है. यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो सैम्पल जांच कर (संयुक्त समिति द्वारा) उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी. कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे.

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा. इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में घटित आपदा के समय फसल की अवस्था तक उपयोग किये गये आदान की कीमत के अनुपात में होगी. यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति-पूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा.

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :—** फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बैमौसम वर्षा से 25% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सेम्पल जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा. यदि 25% से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को उनके टोल फ्री नंबर या उनके कार्यालय में सीधे अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/ संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित के माध्यम से बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (परिशिष्ट-4) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा.

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षति का आंकलन के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा. विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. प्रॉक्सी संकेतों, स्थानीय मिडिया रिपोर्टों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा.

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में :—** राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में प्रमुख फसल चना के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसलों में 08 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करेगी. इस तरह फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी.

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे. यथासंभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा.

14. **योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :—** योजनानुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा खरीफ 2016 में योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी.

15. **मौसम केन्द्रों की जानकारी :—** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते हैं. योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे.

16. **बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प :—** कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप से तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा. यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है.

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते हैं तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व तक लिखित में सूचित करना होगा ताकि उनके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके. किन्तु गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो एच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दुसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिये समय-सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी

17. बीमा कंपनी तथा संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा देय दावा भुगतान का कृषकों के खाते में समायोजन की मसय-सीमा :—

(क) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति :—** बीमा कंपनी द्वारा संबंधित फसल के लिए निर्धारित फसल कटाई प्रयोग की अंतिम तिथि से 15 दिवस के भीतर देय दावा भुगतान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी.

(ख) **फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :—** क्रियान्वयक बीमा कपंनी को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जायेगी.

(ग) **बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में :—** केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभारित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में जमा कराई जाएगी.

(घ) **स्थानीय आपदाओं के मामले में :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

(ङ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कपंनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :—** चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक 13 एवं 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी.

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क :—** क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा.

20. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय-सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन बीमा कंपनियों का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे.

21. **यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) :—** भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के राजनांदगांव एवं बस्तर जिलों का चयन किया गया है. इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बस्तर जिला में (जो क्लस्टर 1 में एल-1 है) एवं बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिला में (जो क्लस्टर 3 में एल-1 है) किया जाना है.

UPIS अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अनिवार्य रूप से किसान द्वारा लिया जाना है. शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है. एवं इसका लाभ नहीं उठाने पर किसान को घोषणा-पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है. योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

UPIS योजना में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	प्रयोजन	बीमित राशि (रु.)	प्रीमियम राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
2.	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3.	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक)	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कृषि ट्रैक्टर बीमा		ट्रैक्टर की बीमा राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा तथा इस संबंध में संपूर्ण विवरण बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा.
5.	**विद्यार्थी सुरक्षा बीमा —**		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	
	(स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	
	(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
6.	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति

22. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं इसमें उल्लेखित सर्वोच्च संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा.

23. यह अधिसूचना दिनांक 01-10-2016 से प्रभावी मानी जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017

क्रमांक/36/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13017/01/2016-Credit II दिनांक 30-12-2016 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत रबी, 2016-17 हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 15078 दिनांक 05-12-2016 के बिन्दु क्रमांक 09 की तालिका सरल क्रमांक 03 में "गतिविधि" कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि, के सम्मुख दर्शित "समय-सीमा" "31 दिसम्बर" के स्थान पर "10 जनवरी, 2017" प्रतिस्थापित की जाती है.

तद्नुसार उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 09 की तालिका सरल क्रमांक 04 से 07 में विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित समय-सीमा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुरूप बढ़ जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैंकरा, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 7-16/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टी. एक्का, (भापुसे 2006) पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को दिनांक 12-01-2017 से 20-01-2017 (09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2017 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एक्का आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एक्का को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. एक्का, (भापुसे 2006) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री टी. एक्का (भापुसे-2006) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) का चालू प्रभार श्री ए. आर. कोर्राम, सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 99/आर-66/01/2016/13/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रताधारित इच्छुक अभ्यर्थीयों से आवेदन आमंत्रित करता है. उक्त पद के पदीय दायित्वों, चयन की प्रक्रिया एवं कंपनी का प्रोफाईल आदि निम्नानुसार है :—

1. **छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी का प्रोफाईल :—** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम, 2010 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, दिनांक 01 जनवरी 2009 से कार्यरत है. यह कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ शासन की ट्रांसमिशन यूटिलिटी है. विगत 08 वर्षों में इस कंपनी द्वारा स्टेट सेक्टर के पॉवर जनरेशन संयंत्रों तथा आवश्यकतानुसार निजी संयंत्रों से उत्पादित बिजली को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली में अति उच्चदाब/उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/स्थापना के साथ-साथ अति उच्चदाब/उच्चदाब पारेषण लाइनों की क्षमता में उन्नयन आदि के कार्य किये जा रहे हैं.

   छत्तीसगढ़ की पारेषण कंपनी राज्य में 400 केव्ही, 220 केव्ही, 132 केव्ही अति उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा राज्य के अति उच्चदाब/उच्चदाब विद्युत पारेषण लाइनों का संचालन संधारण कार्य कर रही है. प्रदेश के पारेषण प्रणाली के संचालन एवं नियंत्रण हेतु स्थापित राज्य भारप्रेषण केन्द्र (State load Despatch Centre) का प्रशासन भी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत है.

2. **पदीय दायित्व :—** कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा राज्य के विद्युत पारेषण प्रणाली के संचालन संधारण सहित कंपनी में संचालित योजनाओं के तहत प्रस्तावित/निर्माणाधीन विभिन्न अति उच्चदाब/उच्चदाब सब स्टेशन एवं पारेषण लाइनों के निर्माण के कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करायेगा. मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के उद्देश्य तथा दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक निर्णय एवं कुशल प्रबंधन को लागू करने के लिए जिम्मेदार रहेगा.

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :—** अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इन्स्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक में प्रथम श्रेणी में डिग्रीधारी होना चाहिए.

4. **अनुभव :—**

   i. स्टेट सेक्टर के पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटी अथवा पावर सेक्टर के शेडयूल "ए" सार्वजनिक उपक्रम में मुख्य अभियंता/एक्जीक्युटिव डायरेक्टर अथवा समतुल्य पद पर पॉवर ट्रांसमिशन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो/सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन के निर्माण एवं कमिशनिंग अथवा संचालन संधारण का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव.

   ii. मैनेजिंग डायरेक्टर के पास उत्कृष्ट इंजीनियरिंग दक्षता के साथ-साथ पारेषण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए तथा योजनाओं के रूपांकन एवं क्रियान्वयन के क्षेत्र में अनुभव एवं दक्षता होनी चाहिए ताकि वह पारेषण कंपनी की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सके.

5. **अर्हताएं :—**

   i. अभ्यर्थी कलर ब्लाइण्ड नहीं होना चाहिए.

   ii. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से "फिटनेस सर्टिफिकेट" प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड से फिट पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.

6. **वेतन एवं भत्ते :—** डायरेक्टर के पद के लिए कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद के लिए निर्धारित वेतनमान तथा विशेष वेतन के मद में रुपये 5000 देय होगा. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित नियमों के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय होंगे. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को देय कुल राशि की गणना पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी.

7. **नियुक्ति की अवधि :—** मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहेगी.

8. **आयु सीमा :—** दिनांक 01 जनवरी 2017 को न्यूनतम 60 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष हो.

9. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—**

   i. आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव) एवं अन्य सुसंगित योग्यता/अनुभव (यदि कोई हो तो) के प्रमाण के रूप में सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

   ii. आवेदन संलग्न प्रारूप में श्री एम. के. त्यागी, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492002 को सम्बोधित करते हुए स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा.

   iii. सेवारत अभ्यर्थी को अपने आवेदन की एक प्रति सीधे तथा आवेदन की दूसरी प्रति अपने नियोक्ता संस्थान के माध्यम से भेजनी चाहिए.

   iv. सीधे ऊर्जा विभाग को भेजे जाने वाला आवेदन दिनांक 13 फरवरी 2017 को कार्यालय समय में सचिव, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

10. **चयन प्रक्रिया/नियुक्ति की प्रक्रिया :—**

    i. राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा नियत दिनांक तक प्राप्त सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों के अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त 03 उम्मीदवारों का पैनल अंग्रेजी अक्षरों के वर्णक्रम में राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा.

    ii. चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जाएगा.

11. **सेवा शर्तें :—** प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 से प्रशासित होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

ANNEXURE -I

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT AS MANAGING DIRECTOR IN CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED [THROUGH PROPER CHANNEL] '*'

(Note : Any column left blank will make the application incomplete and liable for rejection.)

1. Name of the post applied for: ....

2. (a) Name (as per official records): ....

(b) Identification Number (Aadhaar Number): ....

(c) Present Designation of the Applicant (in case Serving Candidate): ....

(d) Designation at the time of retirement (in case Retired Candidate): ....

(e) Category - Employment Status :- Officer of a State PSU's /CPSU's / Private Sector
(Please tick as applicable)

(f) Office Address : ....
....
....

3. Address for communication: ....
....
....

4. Telephone No: Office .... Residence ....
FAX No. .... Mobile No ....
E-Mail address ....

5. Date of Birth .... Age (as on 01.01.2017) ....

6. Eligibility Criteria:

	As per job description	Possessed by the officer	Whether eligible or not
Educational/ professional qualifications (along with the name of Institutions)			
Present Pay Scale (in case Serving Candidate).			
Pay Scale at the time of retirement (in case Retired Candidate)			
Length of service in eligible pay scale			

'*' Note: Not applicable if applicant has retired from service.

7. Positions held during the preceding ten years :-

SN	Designation, and place of posting	Organisation	From	To	Pay Scale
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

7(a). Details of experience relevant for the advertised post and job description, out of 7 above:

SN	Designation, and place of posting	Organization	From	To	Pay Scale	Nature of experience.
1.						
2.						
3.						
4.						

Note:
1. You may attach a write up, if you wish, **not exceeding two pages,** in support of your candidature.
2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or a separate attachment.

8 (A) Do you hold lien in any other organization other than where currently working ?

Yes	No

If yes:

(a) Name of the organization in which the lien is held:-

....

....

(b) Date from which the lien is held:- ....

(B) Are you on deputation?

Yes	No

If yes:

Date from which you have been on deputation:- ....

9.(a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years.

Yes	No

If yes, the details thereof: ....
....

(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof: ....
....

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols. 1 to 9 are true to the best of my knowledge and belief.

UNDERTAKING

I hereby undertake to join the post, if selected. I understand that if I convey my unwillingness to join after the interview is held, but before the appointment is processed, or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of two years for being considered for Board level post in any of the Chhattisgarh State Power Company.

Date: (Name and Signature of the applicant)

(To be filled by the State PSU /CPSU /Ministry / Department concerned)

It is certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of the Competent Forwarding
Authority with Telephone No. & Office Seal.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्रमांक/8003/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	मोतीनगर प.ह.नं. 20	2.152	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण, मोतीनगर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्रमांक/8006/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	जिरहुल प.ह.नं. 20	0.846	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण, जिरहुल.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9003/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	जिगनिया प.ह.नं. 20	1.401	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण, जिगनिया.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9004/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	लेफुआटोली प.ह.नं. 20	0.637	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण, लेफुआटोली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9005/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	करकली पश्चिम प.ह.नं. 22	2.645	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9006/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	दात्रम प.ह.नं. 11	4.318	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	दात्रम जलाशय के डूबान एवं मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/59/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सोनामुंदी	4.78 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सोनामुंदी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01-02-2017 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत सिवनी कला नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	57 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 9317433.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 4500000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 3153960.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1663473.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/63/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कोचर्रा	5.90 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कोचर्रा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-02-2017 को समय 2.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत बोडरीदादर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	66 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 13599613.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648438 दिनांक 18-5-16 राशि रु. 7643342.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 3899550.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 2056721.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/67/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	बांसकाटा	3.09 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम बांसकाटा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-02-2017 को समय 2.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत बाघामुड़ा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 7379030.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648438 दिनांक 18-5-16 राशि रु. 4254758.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 2045450.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1078822.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/71/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	बोडरीदादर	1.58 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम बोडरीदादर.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-02-2017 समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत बोडरीदादर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 3721738.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648438 दिनांक 18-5-16 राशि रु. 2129367.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 1042520.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 549851.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/75/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	मनकी	1.08 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम मनकी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-02-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत खुर्सीपार नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	8 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 2384448.00 का भुगतान चेक क्रमांक 025863 दिनांक 25-1-16 राशि रु. 1296000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 712600.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 375848.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/79/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनीखुर्द	2.72 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सिवनीखुर्द.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-01-2017 को समय 02.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत सिवनीकला नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद/बागबाहरा को राशि रु. 5301300.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 2560000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 1794720.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 946580.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/83/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	देवरी	5.48 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम देवरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-02-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत देवरी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	45 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 12098908.00 का भुगतान चेक क्रमांक 025863 दिनांक 25-1-16 राशि रु. 6576000.00 एवं चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 3615830.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1907078.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/87/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	करहीडीह	2.67 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम करहीडीह.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-02-2017 को समय 01.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत करहीडीह नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	43 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 4013609.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648427 दिनांक 25-3-16 राशि रु. 1322700.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 1761730.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 929179.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/91/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कुलिया	1.28 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कुलिया.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-01-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत कुलिया नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 2540029.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 1250000.00 एवं चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 844580.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 445449.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/95/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कोमाखान	3.88 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कोमाखान.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-01-2017 को समय 2.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत कोमाखान नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 7610367.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 3700000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 2560100.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1350267.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/99/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	टेमरी	7.21 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम टेमरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-02-2017 समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत टेमरी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	94 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 10838260.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648427 दिनांक 25-3-16 राशि रु. 3571800.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 4757330.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 2509130.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/103/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनीकला	5.96 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सिवनीकला.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01-02-2017 समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत सिवनीकला नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	48 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 1177222.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 5700000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 3978740.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 2098482.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/107/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	खटटाडीह	3.46 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम खटटाडीह.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-02-2017 को समय 3.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत करहीडीह नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 5201094.00 का भुगतान चेक क्रमांक 648427 दिनांक 25-3-16 राशि रु. 1714000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 2282990.00 एवं चेक क्रमांक-648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1204104.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/111/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	मातगुडा	5.00 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम मातगुडा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-01-2017 समय 11.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत सिवनीकला नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 23 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रुपये 6129.43 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 9839235.00 का भुगतान चेक क्रमांक 968999 दिनांक 26-9-15 राशि रु. 4800000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 3299200.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1740035.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक/115/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	खुर्सीपार	3.29 हे.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 24 ग्रामों को 1956 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम खुर्सीपार.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 3-02-2017 को समय 02.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत खुर्सीपार नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	37 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 6129.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से 15 ग्रामों की 1956 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा संभावित उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को राशि रु. 7263763.00 का भुगतान चेक क्रमांक 025863 दिनांक 25-1-16 राशि रु. 3948000.00 चेक क्रमांक 648466 दिनांक 24-6-16 राशि रु. 2170820.00 एवं चेक क्रमांक 648479 दिनांक 30-6-16 राशि रु. 1144943.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.961 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	159/1	0.049
	163	0.215
	159/2	0.049
	160	0.045
	162	0.012
	165	0.231
	168/1, 168/2-3	0.170
	172/1	0.170
	171/3	0.020
	170/2	0.040
	170/3	0.040
	170/4	0.081
	79	0.008
	80/1	0.049
	80/2	0.097
	82	0.130
	86/4	0.020
	94/3	0.121
	84/2, 83/2, 85/2	0.032
	83/3, 84/3, 85/3	0.032
	86/3	0.134
	93	0.040
	77/4	0.040
	77/3	0.162
	86/5	0.040
	86/6, 92/2	0.040
	86/1	0.130
	87	0.016
	88/1	0.093
	88/2	0.142
	76/10	0.016
	76/4	0.069
	423/2	0.081
	423/1	0.016
	423/3	0.121
	422	0.012
	425	0.097
	426	0.061
	424	0.040
योग	39	2.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.407 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259/4	0.049
288/1	0.162
292	0.081
293	0.121
294	0.126
295	0.109
306/1	0.028
309	0.081
310/1	0.053
310/2	0.040
311	0.032
313/1	0.040
313/2	0.162
314	0.121
315	0.036
316/1	0.093
316/2	0.093
317	0.085
318/2	0.032
321/2	0.154
323	0.130
324	0.032
325	0.020
326	0.150
327/1	0.032
327/2	0.004
327/3	0.057
327/4	0.081
330/1	0.121
392	0.162
396/1	0.142
396/2	0.081
410	0.162
412	0.008
424/3	0.130
427	0.065
428	0.040
429	0.142
430/2	0.097
430/3	0.032
433/1	0.069
433/2	0.069
434/1	0.065
434/2	0.069
466/1	0.210
(1)	(2)
466/2	0.040
466/3-4	0.405
473/1	0.227
473/2	0.275
473/5	0.049
474/1	0.012
474/2	0.012
476/1	0.117
478/7	0.059
499/1, 500/2	0.182
499/2, 500/2	0.040
499/3, 500/3	0.081
499/4	0.040
योग 58	5.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सुल्लताननार, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.621 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146/2	0.126

(1)	(2)
146/3	0.126
147	0.255
347/1क	0.097
347/1ख	0.364
347/4	0.126
347/7	0.097
347/8	0.097
347/11	0.040
349/2	0.016
349/3	0.032
349/16	0.348
349/20	0.275
350	0.085
351/1	0.312
463/1, 463/3, 463/6	0.101
365/1	0.069
365/2	0.036
365/4	0.069
365/5	0.081
366	0.036
367	0.065
368/1	0.109
368/2	0.097
376/2	0.182
376/3	0.020
376/4	0.065
378	0.020
379	0.101
380	0.065
381	0.109
योग 31	3.621

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बछौद, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
538/1	0.073
539/7	0.049
540	0.020
541/2	0.008
541/3	0.049
541/4	0.134
546/4	0.065
546/5	0.040
546/7	0.004
546/8	0.121
546/9	0.065
546/10	0.040
546/11	0.117
563	0.219
722/1ख	0.081
722/2	0.008
723	0.016
724/1	0.065
730/1	0.040
730/2	0.182
730/3	0.065
730/4	0.130
746/1	0.121
746/2	0.065
748/1	0.040
748/2	0.150

	(1)	(2)
	756/1	0.186
	757/1	0.081
	757/3	0.077
	757/4	0.049
	757/6	0.138
	757/9	0.065
	758/1	0.105
	546/12	0.065
	546/2	0.016
	546/13	0.101
योग	36	2.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 08/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-ढोरला, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.122 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	243	0.040
	255	0.194
	242/1	0.049
	242/2	0.073
	241/1	0.073
	241/2	0.178
	220	0.113
	222	0.065
	47	0.057
	48/1	0.008
	48/2	0.008
	46/1	0.057
	46/2	0.186
	45	0.170
	19	0.130
	21	0.049
	20	0.186
	13/1ख	0.146
	13/2	0.040
	13/3	0.016
	13/5	0.016
	12/2	0.134
	9	0.134
योग	23	2.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-चंदनिया, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.783 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/2	0.551
80/3	0.008
80/4	0.162
81/1	0.040
81/5	0.040
81/6	0.040
82/1	0.008
87/4	0.101
93/1	0.219
93/3	0.089
94/2	0.073
94/4	0.032
96/4	0.097
125	0.178
201	0.138
203	0.069
204	0.040
206	0.162
304	0.040
124/2	0.061
124/3	0.040
124/4	0.065
124/5	0.061
126/1	0.040
126/6	0.227
202/1	0.194
202/2	0.008
योग 27	2.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरदा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.385 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/2क	0.040
59/2ख	0.036
60/1	0.178
60/2	0.097
63/2	0.121
62	0.308
134	0.073
126/1	0.036
126/2	0.036
131/1	0.073
131/2	0.032
135/1	0.130
135/2	0.121
135/7	0.040
158/1	0.032
158/2	0.105
159/1	0.121
164/1	0.040
164/2	0.040
164/3	0.194
164/4	0.049
164/5	0.138
167	0.243
268	0.057
274/3	0.057
274/4	0.081
274/5	0.004
278/3	0.186
278/4	0.709
329, 330/1, 330/2	0.004

	(1)	(2)
	344/4	0.004
योग	33	3.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7906/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सुलसुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	352	0.60
	351	0.55
	346	0.75
	350	0.70
	347	0.65
	278/1	0.26
	278/3	0.26
	278/2	0.53
	286	0.45
	287	0.68
	381	1.32
	288	0.39
	376	1.59
	379	0.19
	393	0.24
	396	0.45
	384	1.22
	387	0.18
	451	0.84
	391	0.28
	390/2	0.30
	390/1	0.39
	445	0.55
	382	0.68
	388	0.23
	443	0.53
	444	0.35
	456/1	0.60
	447/1	0.40
	447/2	0.40
	456/2	0.40
	441/1	0.06
	441/2	0.05
	441/3	0.05
योग	34	17.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुलसुली जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7907/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सुलसुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
457	0.13
838	0.02
458	0.43
802	0.03
804	0.31
814	0.11
837	0.08
873	0.01
1023	0.05
805	0.01
812	0.12
811	0.14
941	0.04
813	0.12
815	0.22
817	0.02
824/1	0.03
836/1	0.01
842/1	0.04
834/3	0.01
834/2	0.03
824	0.01
828	0.04
1014	0.03
825	0.02
991	0.02
829	0.06
826	0.01
832	0.02
827	0.01
830	0.01
833	0.05
835	0.01
448	0.02
993	0.04
849	0.07
870	0.06
994	0.01
871	0.06
1022	0.06
915/4	0.02
872	0.08
915/1	0.13
816/1	0.01
814/2	0.04
1024/1	0.06
913	0.06
912/1	0.05
912/2	0.02
912/3	0.02
912/4	0.02
910	0.07
942	0.01
937	0.12
1044	0.16
946	0.10
961	0.04
943/1	0.01
973	0.03
945	0.08
964	0.09
960	0.07
962	0.05
974	0.06
992/2	0.07
1015	0.03
योग 66	4.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुलसुली जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7908/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर

(ख) तहसील-वाड्रफनगर

(ग) नगर/ग्राम-शारदापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	153/1	0.64
	167	0.26
	153/2	0.70
	162	0.57
	143	0.44
	146	0.35
	161	0.80
	164	0.71
	165/1	0.22
	165/2	0.21
	148	0.19
	149	0.13
	151	0.84
	165/3	0.05
	165/4	0.11
	165/5	0.10
	165/6	0.11
	165/7	0.11
	174	0.47
	177	0.51
	196	0.23
	178	0.80
	183	0.10
	184	0.20
	185	0.16
	187	0.07
	188	0.10
	159	0.83
	95	0.23
योग	29	10.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुलसुली जलाशय (ग्राम-शारदापुर) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7909/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर

(ख) तहसील-वाड्रफनगर

(ग) नगर/ग्राम-कोटराही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.51 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1764	0.35
	1815	0.63
	1814	0.68
	1821/1	0.76
	1823	1.12
	1824	0.39
	1791	0.92
	1804	0.02
	1805	0.24
	1809	0.30
	1808	0.33
	1811	0.36
	1790	0.49
	1787	0.28
	1792/2	0.42
	1793	0.22
	1795	0.38
	1767	0.28
	1763	0.34
योग	19	8.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटराही जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7910/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर

(ख) तहसील-वाड्रफनगर

(ग) नगर/ग्राम-बड़कागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.95 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1540	0.06
	1548	0.24
	1543	0.25
	1541	0.11
	1544	0.21
	1550	0.23
	1542	0.33
	1549	0.23
	1545	0.90
	1546/1	0.72
	1546/2	0.20
	1546/3	0.20
	1516	0.03
	1519	0.21
	1499	0.21
	1497	0.49
	1581	0.42
	1547	0.60
	1518/2	0.03
	1507/1	0.28
योग	20	5.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़कागांव (सुखनई व्यपवर्तन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 23 नवम्बर 2016

रा. प्र. क्रमांक/1605/9164/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर-रामुनजगंज

(ख) तहसील-बलरामपुर

(ग) नगर/ग्राम-खजुरी, प.ह.नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
427	0.20
428	0.02
430	0.08
415/2	0.01
479	0.17
355/2	0.20
428/1	0.02
43	0.09
44	0.23
59	0.28
110	0.48
64	0.63

	(1)	(2)
	519	0.40
	409	0.20
	141	0.28
	408/3	0.05
	356	0.12
	335	0.06
	358	0.10
	517	0.35
	533	0.02
	476	0.20
	58	0.03
	336	0.04
	349	0.01
	350	0.06
	351	0.08
	352	0.06
	359	0.06
	408/1	0.04
	114	0.20
	138	0.32
	140	0.04
	428/2	0.02
	334	0.16
	1006	0.02
	408/2	0.04
योग	37	5.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 23 नवम्बर 2016

रा. प्र. क्रमांक/1609/9162/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरी, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
565	0.13
569	0.22
536	0.08
537	0.08
553	0.04
567	0.04
616	0.12
702	0.06
703	0.08
609	0.13
84	0.04
284	0.02
290	0.04
259	0.09
253	0.14
256	0.13
285	0.05
278	0.06
261	0.04
277	0.04
255	0.06
262	0.02
263	0.02
286	0.04
250	0.08
251	0.09
252	0.06
287	0.08
76	0.04
85/1	0.08
85/2	0.08
87	0.04
187	0.05
159	0.14
161	0.10
163	0.14
164	0.05

(1)	(2)
158	0.24
210	0.14
193	0.05
195	0.04
194	0.08
208	0.13
152	0.18
162	0.04
216	0.12
217	0.04
232	0.16
593	0.06
594	0.17
200	0.06
188	0.30
595	0.12
596	0.08
योग 54	4.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्रमांक/1607/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटपाली, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
359	0.06
360	0.14
364	0.48
420	0.14
423	0.54
427	0.33
486	0.28
487	0.36
497	0.14
499	0.17
509	0.40
508	0.15
506	0.16
507	0.20
514	0.60
494	0.05
619	0.42
503	0.22
504	0.08
517	0.20
518	0.26
524	0.17
498	0.18
526	0.10
528	0.42
547	0.59
550/2	0.16
618	0.25
668	0.26
670	0.16
667	0.06
513	0.12
556	0.28
617	0.04
673	0.24
योग 35	8.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1360/भू-अर्जन/06/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	35/1	0.020
	131/2	0.555
	25/10	0.041
	26	0.571
	35/2	0.915
	35/3	0.243
	52/1	0.296
	22/2	0.340
	109/2	0.109
	21	0.202
	23	0.231
	103	0.041
	24/1	0.097
	24/2	0.122
	102/1	0.405
	101/3	0.032
	102/2	0.202
	110/2	0.437
	111/1, 111/2	0.810
	110/1	0.283
	109/8	0.081
	130	0.878
	110/5	0.134
योग	23	7.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1362/भू-अर्जन/07/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लोखान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2, 17/2	0.194
3	0.057
647/1, 663/2	0.247
4	0.275
12/1, 12/2	0.159
13/1	0.138
86/2, 87	0.065
657	0.117
16	0.012

(1)	(2)
70, 71	0.194
72	0.061
73	0.069
219	0.016
214, 215	0.077
191	0.316
74/1	0.085
88/13	0.065
88/1	0.012
88/5	0.186
88/4	0.069
88/6	0.024
88/7	0.024
88/8	0.024
672/3, 674/1, 677/1	0.146
93	0.016
88/2	0.069
88/9	0.004
233	0.117
230/2	0.109
59/2	0.117
671/1	0.178
232/1	0.393
224	0.097
225	0.016
218/1	0.032
218/2	0.065
216/1, 217/1	0.077
216/2, 217/2	0.020
655/2	0.138
212, 213	0.117
209	0.016
210	0.020
185, 186	0.178
663/1	0.441
647/2, 648, 663/3	0.275
159, 160	0.344
653/2	0.194
371/2	0.166
672/1, 673/1	0.296
656/2	0.117
योग 50	6.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1364/भू-अर्जन/02/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भुवालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
255/1	0.146
256/11	0.146
255/5	0.109
256/5	0.024
181/3	0.206
181/4	0.138
181/1	0.081
256/12	0.146
256/10	0.150
182	0.032
160/1	0.056

	(1)	(2)
	256/4	0.049
	269/3	0.036
	277/1	0.146
	278/1	0.352
	280/1	0.194
	280/3	0.049
	281	0.194
	282/1	0.142
	157	0.109
	158	0.166
	159/1	0.146
	159/2	0.073
	161/3	0.081
	161/7	0.077
	150	0.085
	151/1	0.081
	151/3	0.085
योग	28	3.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1366/भू-अर्जन/08/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बनियाकुबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.421 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	380/2	0.312
	369/1, 369/2	0.198
	368/2	0.138
	382	0.073
	367	0.150
	366	0.292
	363	0.219
	360	0.158
	361	0.158
	365	0.150
	364/2	0.340
	357	0.089
	362	0.158
	350	0.324
	405/3	0.065
	351/1	0.040
	351/4	0.040
	351/2	0.040
	356	0.255
	369/3, 370/3	0.065
	351/3	0.040
	372	0.028
	330/2	0.020
	330/3	0.069
योग	24	3.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1368/भू-अर्जन/09/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-बनियाकुबा हेड वर्क

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.310 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	502	0.105
	516/4	0.291
	517	0.271
	516/2	0.223
	510/1	0.243
	516/6	0.012
	518/1	0.113
	518/2	0.113
	518/3	0.214
	519	0.239
	520/2	0.146
	521/1, 521/2	0.166
	526/1	0.057
	526/2	0.077
	523	0.040
योग	15	2.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-केशलमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.476 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	349/2, 350/2, 353/4	0.161
	349/3, 350/3, 353/5	0.085
	351	0.227
	352/2	0.097
	354/2	0.040
	353/1-2	0.081
	351/1	0.186
	354/1	0.040
	355/1	0.097
	355/2	0.049
	358/1	0.093
	358/2	0.093
	359	0.227
योग	13	1.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1370/भू-अर्जन/04/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1374/भू-अर्जन/10/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-छीरपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	89/1	0.016
	89/2	0.113
योग	2	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना पर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1376/भू-अर्जन/01/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-सेन्हाभाठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.501 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237/3	0.150
548/1	0.024
550/2	0.093
540/1	0.004
541	0.057
543	0.032
101/2	0.097
558/2	0.073
624/1	0.061
624/2	0.049
627	0.041
549	0.028
551/3	0.028
553/1	0.024
543/3	0.024
560/2	0.049
623	0.024
625	0.081
469, 470, 471/2, 473/2	0.061
612	0.004
613	0.008
201/3	0.113
614/2	0.089
585	0.012
589	0.012
619	0.020
620	0.024
586	0.020
587	0.020
608	0.097
202	0.053
201/2	0.049
204/2	0.077
160/3	0.081
161	0.097
150, 151	0.150
156/1, 157/1, 159/1	0.194
153/1	0.085
154/2	0.041
155/1	0.036
148/1	0.049
122/3	0.065
116/2	0.057
149/2	0.085
119/1	0.061
103/1, 103/2	0.150

(1)	(2)
201/7	0.049
120	0.117
121/1	0.097
121/2	0.097
104/1	0.041
104/2	0.241
100	0.007
योग 54	3.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1378/भू-अर्जन/03/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ाडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.425 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
725/1	0.016
725/4	0.041
725/3	0.036
725/5	0.041
725/8	0.041
728/1	0.077
726	0.069
727	0.073
725/2	0.016
811	0.097
723/1	0.073
723/2	0.077
723/3	0.121
719/1	0.024
714/2	0.186
720/1	0.020
720/3, 722/2	0.117
718	0.085
748/4	0.085
716/1, 716/3	0.073
716/2	0.020
715	0.069
714/1	0.243
771/3	0.247
770/2	0.061
746/3, 746/4	0.073
746/5	0.069
767	0.020
796/1	0.170
750	0.551
751	0.049
756/1	0.117
756/2	0.117
796/2	0.146
724, 725, 726	0.146
796/3	0.138
801/2	0.243
796/7	0.073
817/1	0.020
814/2, 815/2, 816/2	0.194
812/2	0.028
821	0.012
822	0.008
810	0.194
814/1, 814/1, 816/1	0.194
योग 45	4.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

रा.प्र.क्र./1380/भू-अर्जन/05/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बघर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.384 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	323	0.433
	324	0.490
	325/2	0.255
	325/1	0.125
	325/3	0.125
	326	0.299
	330	0.134
	336/1	0.134
	312/5	0.109
	331/2	0.089
	332/1	0.081
	332/2	0.316
	332/5	0.097
	333	0.194
	463	0.008
	334/1	0.081
	311	0.073
	420	0.045
	332/4	0.041
	392	0.057
	385	0.061
	419	0.049
	384, 386, 387	0.097
	391/3	0.077
	418	0.109
	467, 475/1, 476/1	0.089
	421	0.020
	422/2	0.004
	344	0.041
	345	0.036
	431/1	0.073
	432	0.004
	434	0.024
	433/3	0.069
	433/2	0.008
	433/1	0.097
	435	0.020
	458	0.117
	456, 457	0.024
	459	0.012
	460	0.028
	461	0.073
	466	0.020
	468	0.061
	465/1	0.045
योग	45	4.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2017

रा.प्र.क्र./37/भू-अर्जन/21/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कोदवागोड़ान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.231
8/3	1.012
257/1	0.223
90/2	1.206
10/6 ख	0.243
10/6 ग	0.142
10/14	0.518
10/18	0.640
275/1	0.324
11/1	0.575
11/2	0.243
12	0.332
13	0.62
14/2	0.202
15/2	0.344
19	0.121
21	0.834
239/1	0.182
255/3	0.036
255/4	0.073
255/5	0.073
256	0.121
241	0.166
248/3	0.040
257/4	0.122
257/2	0.198
257/3	0.008
267	0.324
268	0.417
272/1	0.194
272/3 ख	0.142
274/2	0.150
272/2	0.182
274/1	0.150
275/2	0.081
290/6	0.162
427/1	0.385
427/2	0.105
427/3	0.166
427/5	0.085
434/11	0.259
438/1	0.073
434/2, 438/2	0.073
435	0.518
437/1	0.113
243	0.020
244	0.142
239/2	0.048
योग 47	12.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन पर मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक/471/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-सिरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.71 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.20
	17	0.40
	231	0.06
	18/1	0.16
	18/2	0.24
	128	0.78
	129	0.32
	133	0.87
	144	0.17
	203/2	0.02
	250	0.21
	252	0.81
	253	0.01
	132	0.13
	203/1	0.01
	87/3	0.03
	87/4	0.06
	204	0.04
	312	0.63
	235/1	0.24
	294	0.20
	319	0.09
	318/2	0.04
	321	0.03
	320	0.01
	314	0.83
	156	0.12
योग	27	6.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रस्तावित पुरातत्व सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पेन्द्र मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 03/अ-82/वर्ष 15-16/10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुंद
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-गुठानीपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/1	0.01
	17	0.04
	18	0.02
	19	0.13
	28	0.10
	29	0.01
योग	6	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर (क्रमांक 05) निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 15-16/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-जोगीदादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	37/1	0.01
	41/1	0.02
	37/2	0.06
	87/1	0.04
	98	0.04
	37/3	0.08
	90	0.02
	41/5	0.02
	87/2	0.04
	100/1	0.04
	38	0.02
	95	0.04
	91/1	0.02
	77	0.04
	78	0.02
	89	0.03
	41/2	0.01
	41/4	0.03
	42	0.04
	86	0.05
	71	0.05
	83	0.05
	81	0.03
	74/1	0.05
योग	24	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 15-16/28.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-चारभांठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
960	0.03
1359	0.50
1112	0.07
1335	0.04
1507	0.14
1134	0.01
1495	0.09
1505	0.08
963	0.04
1484	0.02
1022	0.10
1602	0.09
1603/1	0.06
1021	0.07
1508	0.18
957	0.06
1128	0.02
1018/1	0.06
959/4	0.06
1127	0.03
1557	0.37
1019	0.06
1126	0.07
962	0.03
1554	0.31

(1)	(2)
967	0.03
1590/1	0.15
1592	0.02
1140	0.01
1141	0.01
1125	0.07
1139	0.03
1343	0.17
1576	0.05
1502	0.11
852/5	0.05
824	0.06
970	0.04
1498	0.24
952	0.12
953	0.10
969	0.08
833	0.08
849	0.03
1591	0.22
1605	0.31
852/2	0.02
852/6	0.07
1601	0.02
1129	0.02
1030	0.06
959/1	0.03
959/5	0.04
961/2	0.02
822	0.04
971	0.02
959/3	0.06
814	0.07
968	0.04
1520	0.11
850	0.13
1606	0.11
1131	0.04
1132	0.01
1578/1	0.08
823	0.04
1028/1	0.08
1113	0.02
937	0.11
959/2	0.02
1027/1	0.09
1503	0.38
1492	0.10
834	0.01
826	0.02
949	0.02
950	0.01
947	0.19
938	0.05
948	0.02
1028/2	0.06
1133	0.05
1342	0.02
1483	0.05
1497	0.08
1509/3	0.07
1388/11	0.12
1398/4	0.01
1603/2	0.03
1575	0.07
951	0.01
1135	0.01
1396/2	0.08
1398/3	0.02
1398/2	0.02
939	0.04
1509/1	0.07
1023	0.08
योग 97	7.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुराऊ जलाशय योजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 17/अ-82/2015-16/18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	276	0.01
	277	0.03
	282/1	0.07
	278	0.03
	279	0.03
	281	0.05
	423	0.12
	282/2	0.02
	290	0.04
	292	0.04
	291	0.05
	419	0.01
	420	0.07
	408	0.17
	471	0.04
	472	0.04
	474	0.06
	473	0.07
	349/2	0.08
	468	0.04
	349/1	0.10
	469	0.04
	344	0.35
	417	0.01
	422	0.01
	483	0.01
	470	0.03
योग	27	1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना शाखा नहर क्रमांक 05.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 18/अ-82/2015-16/26.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-रक्शा, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7	0.12
	10	0.04
	68	0.26
	8	0.24
	66	0.42
	67	0.18
	72	0.18
	73	0.05
	74	0.30
	75	0.20
	76	0.13
	65	0.01
	69	0.07
योग	13	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 20/अ-82/2015-16/14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कलेण्डा, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155	0.20
156	0.03
372	0.09
371	0.05
373/1	0.03
373/2	0.07
369	0.17
374	0.03
376	0.37
377	0.02
390	0.18
427	0.01
389	0.26
388/1	0.04
706/8	0.30
388/3	0.07
706/7	0.02
713	0.07
714	0.04
715	0.15
709	0.12
708	0.06
707	0.03
706/2	0.10
677	0.87
667 (टु.)	0.36
776	0.28
777	0.12
778	0.06
779	0.18
योग 30	4.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 21/अ-82/2015-16/16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-सूखापाली, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
395/1	0.01
395/2	0.20
395/3	0.03
394	0.13
233	0.27
234	0.04
243/1	0.15
243/2	0.07

	(1)	(2)
	241	0.02
	346	0.05
	240	0.13
	347	0.06
	382	0.05
	297	0.03
	298	0.08
	299	0.05
	302	0.05
	303	0.05
	304	0.08
	308	0.11
	362	0.07
	345/2	0.11
	344	0.16
	315	0.08
	361	0.13
	345/1	0.10
	363	0.01
	348	0.06
	337	0.07
	338	0.20
	335	0.03
	331	0.05
	332	0.02
	336	0.02
योग	34	2.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 22/अ-82/2015-16/12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-भगत सरायपाली, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
349/7	0.12
349/4	0.02
349/5	0.08
349/8	0.08
349/6	0.12
349/9	0.03
351	0.07
343	0.48
361	0.23
362	0.08
363	0.10
451	0.02
221	0.04
365	0.01
364	0.07
217	0.12
366/1	0.08
366/2	0.04
219	0.14
367	0.06
372	0.23
152	0.06
373	0.20
261	0.04
448	0.13
450	0.05
426	0.01
449	0.03
375	0.01
447	0.23
214/2	0.04
434/2	0.01
211/3	0.02
214/1	0.05
434/1	0.02
211/2	0.04
211/1	0.07

	(1)	(2)
	433	0.01
	215	0.06
	213	0.18
	229	0.03
	435	0.03
	436	0.06
	443	0.02
	442/1	0.02
	442/2	0.01
	394	0.08
	385	0.08
	218	0.13
	384	0.04
	154	0.34
	150	0.04
	155	0.30
	220	0.08
	146	0.01
	216	0.01
	210	0.09
	195	0.03
योग	53	4.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 23/अ-82/2015-16/20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारीपाली, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	516/1	0.12
	516/2	0.10
	514	1.68
	517	0.55
	02	0.24
योग	5	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 25/अ-82/2015-16/22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-चिवराकुटा, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
125	0.12
145	0.64
151	0.13
49	0.38
196/3	0.77
योग 5	2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के डूब में आई भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक 27/अ-82/2015-16/24.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गिधामुड़ा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1	0.20
95/2	0.18
95/3	0.03
95/4	0.02
95/5	0.01
95/6	0.01
95/7	0.30
140/452/1	0.27
95/8	0.30
140/452/2	0.12
232/1	0.10
140/452/3	0.13
140/452/4	0.04
140/452/6	0.04
232/2	0.10
140/452/5	0.21
232/3	0.04
140/452/7	0.07
232/4	0.11
232/5	0.04
232/6	0.07
244/1	0.06
244/2	0.06
244/3	0.04
247	0.10
232/7	0.05
232/8	0.08
योग 27	2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक/769/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढोढ़ाकेसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.151 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131/10 क	0.154
	131/39	0.097
	119/23	0.032
	119/65	0.113
	119/5	0.004
	102/7	0.032
	102/57	0.223
	102/5	0.182
	131/9	0.097
	119/53	0.174
	119/48	0.053
	119/60	0.093
	119/4	0.041
	119/30	0.146
	102/9	0.150
	119/54	0.174
	119/45	0.061
	119/9	0.028
	119/31	0.089
	119/67	0.263
	102/10	0.077
	102/8	0.061
	119/43	0.122
	119/46	0.049
	119/66	0.077
	119/56	0.032
	102/19	0.061
	102/11	0.040
	102/6	0.426
योग	29	3.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जिवलिया-केदमा व्यपवर्तन योजना के वियर मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक/778/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खरसुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.504 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1163	0.235
607	0.032
617/2	0.020
589/1	0.004
615	0.024
603/3	0.041
599	0.004
633	0.040
638/2	0.008
473	0.004
362	0.049
359/2	0.032
1112/1	0.032
1105/5	0.024
1113/5	0.049
1105/1	0.004
1129/10	0.032
1129/8	0.129
1129/7	0.057
1146/2	0.049
1111/3	0.004
1183	0.028
1178	0.113
1191	0.032
592	0.045

(1)	(2)
605	0.073
612/1	0.032
616	0.182
634	0.045
638/3	0.008
443	0.053
443	0.053
1106/1	0.008
1106/2	0.020
1113/4	0.045
1106/3	0.012
1128/1	0.049
1127	0.020
1131	0.020
1140/2	0.012
1146/1	0.049
1181	0.077
1190/3	0.004
1192	0.028
601	0.057
603/1	0.036
614	0.036
623/1	0.032
636	0.004
444	0.004
461	0.008
461	0.008
1107/2	0.004
1113/2	0.186
1112/3	0.032
1113/1	0.049
1128/2	0.036
1126	0.040
1134/1	0.073
1144	0.057
1129/3	0.065
1186	0.101
617/1	0.020
1193/1	0.032
604	0.008
603/2	0.036
474	0.057
632	0.045
638/1	0.012
475	0.065
360	0.061
360	0.061
1113/3	0.045
1112/2	0.061
1105/6	0.028
1151/1	0.036
1133	0.021
1130	0.004
1134/2	0.073
1146/3	0.049
1114	0.073
योग 81	3.504

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरूआ नाला व्यपवर्तन योजना के वियर मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्रमांक/1504/15/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.533 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
661	0.012

(1)	(2)
689	0.081
680	0.012
428	0.085
686	0.093
666/4	0.036
659	0.024
690	0.057
450/2	0.121
662	0.008
691	0.004
योग 11	0.533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नकटीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्रमांक/1054/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम डुडिया, मटेवा, माटिया, खैरबना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खैरबना, कांदुल, खपरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खपरी परसतराई, बोरगहन, मनकी, टेलीटोला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम टेलीटोला, कठिया, डुडिया की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./1054/T&CP/D.P./Arjunda/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Arjunda planning area so prepared under published are duly adopted by the Assestant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Arjunda Planning Area

NORTH : Village Dudiya, Matewa, Matiya village Khairbana up to North Boundary.
EAST : Village Khairbana, Kandul village Khapri up to East Boundary.
SOUTH : Village Khapri, Parastarai, Borgahan, Manki village Telitola up to South Boundary.
WEST : Village Telitola, Kathiya village Dudiya up to West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बालोद, दिनांक 7 जनवरी 2017

क्रमांक/38/ELU/गुण्डरदेही/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खर्रा, कचान्दुर, धर्मी, देवरी, साजा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम साजा, भेंडरा, मचौद, टेकापार, खलारी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खलारी, खुटेडी, रंगकठेरा, चैनगंज, चिचलगोंदी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चिचलगोंदी, बघमरा, खर्रा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./38/ELU/Gunderdehi/T&CP/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Gunderdehi planning area so prepared under published are duly adopted by the Assestant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Gunderdehi Planning Area

NORTH : Village Kharra, Kachandur, Dharmi, Deori village Saja up to North Boundary.
EAST : Village Saja, Bhendara, machoud, Tekapar village Khalari up to East Boundary.
SOUTH : Village Khalari, Khutedi, Rangkathera, Chainganj village Chichalgondi up to South Boundary.
WEST : Village Chichalgondi, Baghmara village Kharra up to West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्रमांक/932/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरिया निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15-(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लिपती, नदीगांव एवं सुरसी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सुरसी, भठली, पुजेरीपाली एवं भुलूमुड़ा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम भुलूमुड़ा, कंचनपुर, कान्दूलपाली एवं पंचधार ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पंचधार, नावापारा छोटे एवं लिपती ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, सरिया (सभा कक्ष).

No./932/N.G.N./2016.—It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of Saria as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.). Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section-15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted and adopted.

SCHEDULE

Limits of Saria Planning Area

NORTH : Village Lipti, Nadigaon and upto the Northern limit of village Surshi.
EAST : Village Surshi, Bhathali, Pujeripali and up to Eastern limit of village Bhulumuda.
SOUTH : Village Bhulumuda, Kanchanpur, Kandulpali and up to the Southern limit of village Panchdhar.
WEST : Village Panchdhar, Navapara Chhote and upto Western limit of village Lipti.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat Saria (Shabha Kaksh).

रायगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक/1279/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट घरघोड़ा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15-(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

घरघोड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम छीरभौना, टेरम एवं कोगनारा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कोगनारा, कन्सैया, घरघोड़ा एवं नवापारा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम नवापारा एवं घरघोड़ा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम घरघोड़ा, कन्चनपुर एवं छीरभौना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.

No./1279/N.G.N./2016.—It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of Gharghora as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.). Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section-15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Gharghora Planning Area

NORTH : Village Ghhirbhouna, Teram and up to the Northern limit village of Kognara.
EAST : Village Kognara, Kansaiya, Gharghora and up to the Eastern limit village of Nawapara.
SOUTH : Village Nawapara, and up to the Southern limit village of Gharghora.
WEST : Village Gharghora, Kanchanpur and up to the Western limit village of Chhirbhouna.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat Gharghora, Distt.-Raigarh.

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/1870/केशकाल व.भू-उप/न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि केशकाल निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय भवन नगर पंचायत, केशकाल जिला कोण्डागांव, कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 06-12-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. केशकाल निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

केशकाल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गढ़सिलयारा, सुरडोंगर एवं गोरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गोरगांव, कोदाभाटा एवं व्यालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम व्यालपुर, जामगांव, बोरगांव एवं बटराली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बटराली, सरगीपाल, तुमसकोनाड़ी एवं गढ़सिलयारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, प्र. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, नगर पंचायत भवन, केशकाल.

No. 1870/Kesh. EXT.L./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Keshkal planning area has been prepared under section 15 sub section (1) of the C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dates 06-12-2016 during office hours in the office of the Nagar Panchayat Bhavan, Keshkal, office of the Collector, district Kondagaon & office of Deputy Director, Town & Country planning collectorate compound composite building Jagdalpur, dist. Bastar the limit of the Vishrampuri planning area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Keshkal Planning Area

NORTH	:	Village Garhsiliyara, Surdongar, Gaurgoan up to the Northern limit.
EAST	:	Village Gaurgoan, Kodobhat, Bayalpur up to the Eastern limit.
SOUTH	:	Village Bayalpur, Jamgaon, Borgaon and Batrali up to the Southern limit fo village.
WEST	:	Village Batrali, Sargipal, Tumuskonadi and Garhsiliyara up to the Western limit of village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be Considered by i/c deputy director.

Place for Inspection : Nagar Panchayat Bhavan, Keshkal.

डी. के. बघेल,
उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्रमांक/620/न.ग्रा.नि./नरहरपुर नि.क्षे./2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में नरहरपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधीत मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 429/ नग्रानि/2016 दिनांक 22-09-2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नरहरपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एंव अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

नरहरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मर्रामपानी, नरहरपुर एवं सुरही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम सुरही, नरहरपुर एवं कोचवाही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कोचवाही एवं बहनापानी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोचवाही, बहनापानी एवं मर्रामपानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, नरहरपुर.

No./620/T.C.P./nhp/Plla./2016.—The existing land use map and register for the Narharpur Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice no 429/T.C.P./2016 Kanker, dated 22-09-2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Narharpur Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Narharpur Planning Area

NORTH : Village Marrampani, Narharpur and Surhi up to Northern limit of Village.
EAST : Village Surhi, Narharpur and Kochwahi up to the Eastern limit of Village.
SOUTH : Village Kochwahi and Bahnapani up to Southern limit of Village.
WEST : Village Kochwahi, Bahnapani and Marrampani up to the Western limit of Village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat, Narharpur.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुंद (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक/66/ELU/नग्रानि/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बागबाहरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति तहसील कार्यालय बागबाहरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागबाहरा एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय महासमुन्द कार्यालयों में दिनांक 18-01-2017 से 30 दिवस के लिये कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बागबाहरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

बागबाहरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कल्याणपुर, बागबाहरा खुर्द, लालपुर तथा भानपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नवागांव कला, बागबाहरा कला, बागबाहरा खुर्द तथा कल्याणपुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हरनादादर, नवागांव खुर्द तथा नवागांव कला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भानपुर तथा हरनादादर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुंद (छ.ग.) या प्रदर्शनी स्थल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय, कार्यालय महासमुन्द द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रदर्शनी स्थल : कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ.ग.).

No./66/ELU/T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Bagbahara planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dates 18-01-2017 during office hours in the tahasil Office, Bagbahara, Nagar Palika Parishad, Bagbahara, District Mahasamund (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town & Country planning, Mahasamund (C.G.). The limit of Bagbahara Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Bagbahara Planning Area

NORTH : Village Kalyanpur, Bagbahara Khurd, Lalpur & upto Northern limit of Village Bhanpur.
EAST : Village Navagaon Kalaa, Bagbahara Kalaa, Bagbahara, Khurd & upto Eastern limit of village-Kalyanpur.
SOUTH : Village Harnadadar, Navagaon Khurd & upto Southern Limit of Village-Navagaon Kalaa.
WEST : Village Bhanpur & upto Western limit of Village Harnadadar.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to Assistant Director, Town & Country Planning, Mahasamund (C.G.) or Exhibition Venue writing within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be Considered by the Assistant Director Town and Country Planning Mahasamund (C.G.).

Exhibition Venue : Office of the Nagar Palika Parishad, Bagbahara Dist. Mahasamund (C.G.).

महासमुंद, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक/72/ELU/नग्रानि/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पिथौरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पिथौरा एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय महासमुन्द कार्यालयों में दिनांक 18-01-2017 से 30 दिवस के लिये कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अर्जुनी, सरकण्डा, अट्ठारहगुड़ी, राजासेवैयाखुर्द एवं डोंगरीपाली ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम डोंगरीपाली, सेवैयाकला, डिघेपुर, जंघोरा, खुटेरी एंव अरंड ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अरंड, एवं कौहाकुड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कौहाकुड़ा, बरतुंगा, गड़बेड़ा, मुढ़ीपार एवं अर्जुनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुंद (छ.ग.) या प्रदर्शनी स्थल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय, कार्यालय महासमुन्द द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रदर्शनी स्थल : कार्यालय, नगर पंचायत, पिथौरा जिला महासमुन्द.

No./72/ELU/T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Pithora planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dates 18-01-2017 during office hours in the Sub Division officer (Revenue), Pithora, Nagar Panchayat, Pithora, District Mahasamund (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town & Country planning, Mahasamund (C.G.). The limit of Pithora Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Pithora Planning Area

NORTH	:	Village Arjuni, Sarkanda, Aththhrahagudi, Rajasewaiyakhurd & upto Northern limit of village-Dongaripali.
EAST	:	Village Dongaripali, Sewaiyakalaa, Dighepur, Janghora, Khuteri & upto Eastern limit of Village-Arand.
SOUTH	:	Village Arand & upto Southern limit of Village-Kauhakuda.
WEST	:	Village Kauhakuda, Bartunga, Gadbeda, Mudipar & upto Western limit of village-Arjuni.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to Assistant Director, Town & Country Planning, Mahasamund (C.G.) or Exhibition Venue writing within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be Considered by the Assistant Director Town and Country Planning Mahasamund (C.G.).

Exhibition Venue : Nagar Panchayat Office Pithora, Distt.-Mahasamund (C.G.)

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5795.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3417-3418 रायपुर दिनांक 23-08-2016 द्वारा श्री ए. के. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 11860/वित्त-1/न.क्र. 166/2016 दिनांक 21-12-2016 द्वारा श्री के. आर. ओगरे, अपर कलेक्टर जिला कार्यालय, धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. के. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. आर. ओगरे अपर कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
प्रबंध संचालक.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5968.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/8113-8114 रायपुर दिनांक 22-03-2016 द्वारा सुश्री नम्रता गांधी भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्र./वित्त-1/2016/6355 दिनांक 20-12-2016 द्वारा सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर, सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5971.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./10-11/7717-7718 दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री एम. एल. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर रायपुर द्वारा दिनांक 15-12-2016 को अनुमोदित नोटशीट प्रस्ताव के संदर्भ में उपसंचालक कृषि जिला रायपुर का पत्र क्र. 4954 दिनांक 20-12-2016 द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. एल. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभनपुर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री जोगेन्द्र नायक, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अभनपुर जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5974.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/5971-5972 दिनांक 13-12-2012 द्वारा श्री अजित जैन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला-कोरिया को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कोरिया-बैकुण्ठपुर का पत्र क्रमांक 7248/व.लि./भा.सा.अधि./2016 बैकुण्ठपुर दिनांक 22-09-2016 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़ में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अजित जैन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला-कोरिया के स्थान पर, श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला बेमेतरा

बेमेतरा, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक/6695/वि.लि.प्र./2016.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रीता शांडिल्य कलेक्टर, बेमेतरा वर्ष 2017 हेतु बेमेतरा जिला में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिये निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं :—

क्र. (1)	स्थानीय अवकाश का विवरण (2)	दिनांक (3)	दिन (4)
1.	गणेश चतुर्थी	25-08-2017	शुक्रवार
2.	सर्व पितृमोक्ष आमावस्या	19-09-2017	मंगलवार
3.	दिपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	20-10-2017	शुक्रवार

रीता शांडिल्य,
कलेक्टर.